छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 52/2007</u>

श्री केशव अग्रवाल,
आत्मज स्व0 श्री लखीराम अग्रवाल,
ग्राम–बिल्हा, मेन रोड बिल्हा,
जिला–बिलासपुर (छत्तीसगढ़) .... आवेदक

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पंचायत बिल्हा,
जिला–बिलासपुर (छत्तीसगढ़) .... अनावेदक

:: <u>आदेश</u> ::
(दिनांक 31 मई 2007)

आवेदक श्री केशव अग्रवाल निवासी–बिल्हा के द्वारा छत्तीसगढ़ सूचना आयोग को शिकायत की गई है कि उसके द्वारा आवेदन–पत्र दिनांक 31–10–2006 के द्वारा यह जानकारी चाही थी कि वार्ड क्रमांक–12 में किस स्थान पर, कैसे और क्यों श्री बिहारी लाल अग्रवाल को नल कनेक्शन दिया गया। आवेदक के द्वारा पुनः 27–11–2006 को जानकारी मांगी गई कि नल कनेक्शन किसकी भूमि पर लगाया गया। दिनांक 23–11–2006 को जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को सूचित किया गया कि नल कनेक्शन संबंधी नस्ती कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, अतः जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।

2/ शिकायत प्राप्त होने पर आयोग के द्वारा आवेदक एवं अनावेदक को नोटिस जारी किया गया। दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया। आवेदक का मुख्य तर्क यह है कि नल कनेक्शन संबंधी नस्ती कार्यालय में उपलब्ध होना चाहिये तथा उसके द्वारा मांगी गई जानकारी उसे देना चाहिये। अनावेदक का यह तर्क है कि ढूंढने पर भी कार्यालय में नस्ती प्राप्त नहीं हुई। नगर पंचायत का गठन वर्ष 1986 में हुआ है। नस्ती उपलब्ध नहीं होने की जानकारी आवेदक को दी गई है।

3/ प्रकरण से स्पष्ट है कि नगर पंचायत में नस्ती उपलब्ध नहीं हुई। यह सही है कि नस्ती कार्यालय में होना चाहिये अथवा रिकार्ड रूम में होना चाहिये। किन्तु नगर पंचायत जैसी छोटी संस्थाओं में रिकार्ड रूम की व्यवस्था नहीं होती है। प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझकर आवेदक को भ्रामक जानकारी नहीं दी गई है। निर्धारित अवधि में आवेदक को नस्ती उपलब्ध न होने की सूचना दी गई। नगर पंचायत अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यालय में पुनः नस्ती खोजें तथा यदि नस्ती प्राप्त हो जाती है तो आवेदक के द्वारा मांगी गई जानकारी उन्हें निःशुल्क प्रदान करें। साथ ही नस्ती यदि गुम हुई है तो उसके लिये उत्तरदायित्व निर्धारण करके त्रुटिकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही भी की जावे।

4/ उपरोक्त निर्देशों के साथ शिकायत का निराकरण किया जाता है।

हस्ता./– 31–05–2007
(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त